झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची।

आपराधिक पुनरीक्षण सं0–30 वर्ष 2020

के साथ

आई0 ए0 सं0 2228 वर्ष 2020

एवं

आई0 ए0 सं0 2290 वर्ष 2020

सुरेश प्रसाद गुप्ता .... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य
2. राजू गुप्ता .... विपक्षी पक्ष

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री अमिताभ के0 गुप्ता

याचिकाकर्त्ता के लिए : श्री राजेश कुमार, अधिवक्ता।

राज्य के लिएः श्री मनोज कुमार मिश्रा, ए0पी0पी0।

विपक्षी पक्ष सं0 2 के लिएः श्री बिनोद कुमार, अधिवक्ता।

05 / 05.10.2020

1. कार्यालय ने श्री मनोज कुमार मिश्रा के नाम का उल्लेख विद्वान ए0पी0पी0 के रूप में किया और मुकदमों की सूची से श्री हरदेव प्रसाद सिंह के नाम को हटाया।

2. याचिकाकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता के निवेदन के मद्देनजर, कार्यालय द्वारा इंगित त्रुटियों को एतद् द्वारा इस समय के लिए नजरअंदाज किया जाता है।

आई0 ए0 संख्या 2228/2020

1. यह अंतर्वर्ती आवेदन, वर्तमान पुनरीक्षण को दायर करने में 1304 दिनों की देरी को माफ करने के लिए परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत दायर किया गया है।

2. विद्वान ए0पी0पी0 ने कोई गंभीर आपत्ति नहीं जताई है।

3. सुना। पैरा–8 से 15 में कारण दिखलाने के मद्देनजर पर्याप्त कारण और उचित स्पष्टीकरण दिया गया है, तद्नुसार, देरी को माफ किया जाता है।

4. परिणाम में, आई0ए0 संख्या 2228/2020 को अनुज्ञात किया जाता है।

आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 30/2020

1. याचिकाकर्त्ता और विपक्षी पक्ष संख्या 02 द्वारा संयुक्त समझौते आई0ए0 संख्या 2290/2020 के माध्यम से दायर किया गया है।

2. याचिकाकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता, विद्वान ए0पी0पी0 और विपक्षी पक्ष संख्या 02 के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

3. यह पुनरीक्षण, आपराधिक अपील सं0–07/2015 में विद्वान सत्र न्यायाधीश, लोहरदगा द्वारा दिनांक 02.03.2016 को पारित निर्णय के खिलाफ दायर किया गया है जिसमें शिकायत वाद सं0 98/2013 (टी0आर0 सं0 525/2014) में विद्वान अनुमण्डल

न्यायिक दण्डाधिकारी, लोहरदगा की अदालत द्वारा पारित दिनांक 23.12.2014 के फैसले को अभिपुष्ट किया जिसके द्वारा याचिकाकर्त्ता को लिखत पराक्रम्य अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया और दो साल का सामान्य कारावास भुगतने और 6,00,000/– (केवल छः लाख रूपये) का मुआवजा भुगतान करने की सजा सुनाई।

याचिकाकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि इस पुनरीक्षण आवेदन के लंबित रहने के दौरान, दोस्तों, शुभचिंतकों और रिश्तेदारों के हस्तक्षेप पर, दोनों पक्षों ने समझौता किया है और इस मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया है। पक्षकारों के बीच हुए निपटान के संदर्भ में, याचिकाकर्त्ता ने विपक्षी पक्ष संख्या 2 को बकाया राशि का भुगतान किया है।

तद्नुसार, निचली अदालतों के निर्णयों को रद्द करने और अपास्त करने के लिए प्रार्थना की गई है।

4. विपक्षी पक्ष संख्या 02 की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने स्वीकार किया है कि याचिकाकर्त्ता ने विपक्षी पक्ष संख्या 02 को पूर्ण और अंतिम निपटान के रूप में राशि का भुगतान किया है। यह निवेदन किया गया है कि चूंकि विपक्षी पक्ष संख्या 2 की शिकायत का निवारण किया गया है, इसलिए वह मामले के अभियोजन को आगे जारी नहीं रखना चाहता है।

5. सुना। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि दोनों पक्षों ने इस मामले को सुलझा लिया है और विपक्षी पक्ष संख्या 02 को पूर्ण और अंतिम निपटान के रूप में राशि प्राप्त हुई

है और लिखत पराक्रम्य अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध शमनीय है, इसलिए समझौता को अनुज्ञात किया जाता है। पक्षों के बीच सौहार्दपूर्ण निपटान को ध्यान में रखते हुए, मामले में आगे की कार्यवाही जारी रखना केवल समय की बर्बादी और न्यायालय की प्रक्रिया का दुरूपयोग करना होगा। इस प्रकार, पक्षकारों के बीच समझौते के मद्देनजर और न्याय के हित में, विद्वान सत्र न्यायाधीश, लोहरदगा द्वारा आपराधिक अपील सं0 07/2015 में पारित दिनांक 02.03.2016 के निर्णय और शिकायत वाद सं0 98/2013 (टी0आर0 सं0 525/2014) में विद्वान अनुमण्डल न्यायिक दण्डाधिकारी, लोहरदगा की अदालत द्वारा पारित दिनांक 23.12.2014 के निर्णय को एतद्द्वारा अभिखंडित और अपास्त किया जाता है।

6. परिणाम में, याचिकाकर्त्ता को संयुक्त समझौते के संदर्भ में एन0आई0 अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध से बरी किया जाता है।

7. पुनरीक्षण में पारित अंतिम आदेश के मद्देनजर, आई0ए0 संख्या 2290/2020 का निपटान किया जाता है।

(अमिताभ के0 गुप्ता, न्याया0)